नरेन्द्र चौहान बनाम श्याम नारायण

अपील संख्या : 17/315

04.06.2019	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित था । लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है। लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित थे और न ही कोई राजीनामा किया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो आदेश पारित किया गया था वो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का था जिसकी कोई अपील नहीं की गई है । प्रकरण रिमाण्ड किया गया था और उसमें धारा 144 सीपीसी के तहत जो आदेश पारित किया गया है वो डिक्री की परिधि में नहीं आता है । इस कारण श्रवणाधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को बनता है । उक्त अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार की नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 बहाल रखा जावे । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि पूर्व में भी रेस्पोडेन्ट के द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि अपील मेन्टेनेबल नहीं है जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनाक 22.08.2017 को खारिज कर अपील को मेन्टेनेबल माना है । यह निर्णय रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अतः इस अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को है । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण 136 एलआर एक्ट के तहत लम्बित था । न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 29.11.2005 से पत्रावली रिमाण्ड की गई थी इसके उपरान्त दिनांक 24.02.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई इस पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 144 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 08.12.2002 के पूर्व की स्थिति कायम रखने की प्रार्थना की जिसको परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए स्वीकार किया गया है । इस कम में हमारा विनम्र मत है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पारित निर्णय की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है ।

विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने इस कम में इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 2.08.2017 की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह कथन किया गया कि इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अपील को मेन्टेनेबल माना है ।

रेस्पोडेन्ट के द्वारा इस निर्णय के कम में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसका भी हमने अवलोकन किया । इस प्रार्थना पत्र में शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना करते हुए इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने का भी कथन किया गया है और इस न्यायालय के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है परन्तु चूँकि अपील धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में धारा 144 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है जिसे धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय के तहत ही पारित माना जावेगा । धारा 136 एलआर एक्ट में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इस कारण अपील अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलान्ट को लौटाई जावे ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा